

बिहार सरकार

उद्योग विभाग,

(बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय, बिहार, पटना)

सं0सं0-SIPB/BIIPP-2016/विविध पत्राचार (नोटिस)113/2023/.....

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

उप सचिव,

-सह-

प्रभारी पदाधिकारी,

एस0आई0पी0बी0, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग,

बिहार, पटना।

विषय:-

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 एवं पूर्व की किसी भी औद्योगिक नीति से संबंधित लंबित अनुदान दावा से संबंधी सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाषय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 एवं पूर्व की किसी भी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत वैसे कार्यरत इकाई जो नियमानुकूल किसी भी प्रकार का अनुदान/प्रोत्साहन प्राप्त करने की अहर्ता रखते हैं, अपने लंबित अनुदान दावा से संबंधित आवेदन विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर सभी वांछित कागजातों के साथ दिनांक 31.08.2023 के 5:00 बजे अपराहन तक करना सुनिश्चित करने से संबंधी सूचना राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में सूचना के प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक 09.08.2023 को राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में उक्त से संबंधित सूचना प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

-सह-

प्रभारी पदाधिकारी,

एस0आई0पी0बी0, कोषांग

बिहार, पटना।

दिनांक 08/08/23

ज्ञापांक SIPB/1887

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

-सह-

प्रभारी पदाधिकारी,

एस0आई0पी0बी0, कोषांग

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

“ सूचना ”

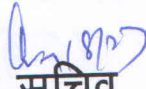
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1451/SIPB, दिनांक-19.06.2023 को निर्गत आदेश के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011, एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 से आच्छादित इकाईयों को दिनांक-30.06.2023 तक के अनुमान्य सभी लम्बित अनुदान दावों से संबंधित आवेदन विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर दिनांक-15.07.2023 के 5:00 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत करने की सूचना परिचारित की गई थी जिसे पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक-724/SIPB, दिनांक-14.07.2023 को निर्गत आदेश के द्वारा दिनांक-31.07.2023 के 5:00 बजे अपराह्न तक के लिये विस्तार किया गया था।

पुनः अंतिम अवसर देते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 एवं पूर्व की किसी भी औद्योगिक नीति (औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006, समेकित खाद्य प्रसंस्करण योजना, 2008, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चमड़ा नीति, 2022) से आच्छादित कोई भी इकाई जो अनुदान प्राप्त करने की अर्हता को पूरी करते हो, दिनांक-30.06.2023 तक के अनुमान्य अपने सभी लम्बित अनुदान दावा से संबंधित आवेदन विभागीय पोर्टल

swc2.bihar.gov.in पर दिनांक-31.08.2023 के 5:00 बजे अपराहन तक अनिवार्य रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे इकाईयाँ जिनके द्वारा दिनांक-30.06.2023 तक के लम्बित अनुदान दावों के लिये विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर दिनांक-31.08.2023 तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उन्हें उक्त अवधि तक के अनुमान्य दावों के लिये भविष्य में विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

साथ ही एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in दिनांक-31.08.2023 को बंद होने के बाद पुनः वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे तिमाही अर्थात् जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023 तक के अनुमान्य दावों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिये 01 अक्टूबर, 2023 को खोला जायेगा।


उप सचिव,

—सह—

प्रभारी पदाधिकारी,
राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।